Enquiry into mysterious disappearance of Netaji

1145. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether division bench of the Calcutta High Court in its judgement on the 13th April, 1998, directed the Government to institute a vigorous enquiry into the mysterious disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose since 18th August, 1945; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government of India.

Defence Officers in the warrant of precedence

1146. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Defence Forces Officers have been continuously down-graded from time to time in the Warrant of Precedence of Government;

(b) if so, whether it does not affect their esteem, sense of pride and morale; and

(c) whether Government will take measures to restore their previous status to some extent considering their role and contribution towards defence of the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir. There is no significant change in the relative positions in the Warrant of Precedence since Independence so far as Defence Forces Officers are concerned.

(b) and (c) Do not arise.

वोहरा समिति रिपोर्ट

1147. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में वोहरा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है और इसके सुझावों पर गहन विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):

(क) और (ख) वोहरा समिति की रिपोर्ट सरकार को 5.10.1993 को प्रस्तुत की गई। समिति उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची:—

(i) हमारी विभिन्न संबंधित आसूचना, अन्वेलषण और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हासिल व्यापक अनुभव के आधार पर, यह स्पष्ट है कि आपराधिक सिंडिकेटों और माफिया संगठनों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी जड़े मजबूत कर ली हैं;

(ii) विभिन्न आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संग-
ठनों ने काफी अधिक धन तथा बाहुबल अर्जित कर लिया है और सरकारी पदाधिकारियों, राजनैतिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ संबंध कायम कर लिए हैं जिससे वे बिना दंडित हुए अपनी गतिविधियां चला सकते हैं;

(iii) आसूचना एजेंसियों और राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न एजेंसियों को अपने सामान्य कामकाज के दौरान आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों के संबंधों के बारे में सूचना मिलती रहती है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत उनसे ऐसी सूचना किसी पहचानशुदा नोडल एजेंसी को देने की आशा की जाये। इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान इस समय कभी कभार ही होता है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार की सूचना का प्रवर्तनात्मक इस्तेमाल किया गया हो;

(iv) यदि किसी एजेंसी को आपराधिक सिंडिकेटों के संबंधों के बारे में कुछ सूचना मिलती

भी है तो उसके पास ऐसा कोई शासनादेश नहीं होता कि वह तत्काल उसे किसी एक या अधिक एजेंसियों तक पहुंचा सके। ऐसे संबंधों के बारे में जिस एजेंसी को सूचना प्राप्त होती है, वह इस बात से भी आशंकित होती है कि इस प्रकार सूचना प्रदान करने से वक्त से पूर्व इसके लीक हो सकने की वजह से इसके अपने कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संक्षेप में, फील्ड में वर्तमान में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां यह सावधानी बरतती हैं कि अपने कार्यक्षेत्र की ड्यूटियों, जिनके अंतर्गत उनके संगठन से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से निपटना होता है, पर ही ध्यान केन्द्रित करें और ऐसे संबंधों के बारे में जो सूचना उन्हें मिलती है, उसे जानबूझ कर एक तरफ कर दें;

(ग) से (ङ) उपरिल्लिखित निष्कर्षों के मद्देनजर बोहरा समिति ने विभिन्न आसूचना एजेन्सियों के सूचना/आसूचना एकत्र करने और मिलाने के लिए तथा शिनाख्त शुदा संगठनों के माध्यम से कार्य करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल एजेन्सी स्थापित करने की सिफारिश की ताकि राजनीतिज्ञों, नौकरशाह और व्यापारियों के साथ अपराधियों का गठजोड़ समाप्त हो जाये। तदनुसार 2.8.95 को गृह सचिव की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (रा०), निदेशक (आ०ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर एक नोडल ग्रुप की स्थापना की गयी। मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इसके अध्यक्ष का पद सम्भालने के साथ गृह सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (रा०), निदेशक (आ०ब्यूरो), निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर 5.1.96 को इस नोडल ग्रुप का पुर्नगठन किया गया।

बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में गृह सचिव को अध्यक्ष तथा सदस्य (जांच-पड़ताल), सी०बी०डी०टी०, महानिदेशक (राजस्व आसूचना), निदेशक (प्रवर्तन) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य और सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण) सचिव (राजस्व), सचिव (रा०) और निदेशक (आ०ब्यूरो) को विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में लेकर नोडल ग्रुप का जनवरी, 1998 में पुनर्गठन किया गया। नोडल ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह होती है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिए हैं।

स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन

1148. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई पेंशन राशि में कोई भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में समानता लाने का विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उपलब्ध पेंशन की राशि में एक रूपता नहीं है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय स्तर पर इस संबंध में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का संबंध स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्रदान करने से है। अपनी योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं।

Increase in Crime Rate in the Country

1149. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the crime rate all over the country, in general, and particularly in metro cities has considerably gone up;

(b) if so, the details of such cases during the last two years, city-wise separately;

(c) in how many cases the criminals have been booked; and

(d) the steps taken by Government to check crime rate in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c) According to available information, the crime rate (cases per lakh of population) at All-India level has declined from 183.4 in 1996 to 181.3 in 1997.

A statement indicating the incidence of cognizable crime in major cities of the country during the years 1996 and 1997 is enclosed (Statement-I) (*see* below). Information in regard to cases